

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्या:डी.ई.-25 (13)/231 /वि.कार्य/2017-18/ 1644-1645 दिनांक:- 06/08/2018

सेवा में,

उपसचिव, (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054

विषय:- विधानसभा तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 14 दिनांक 06.08.2018 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपकी सेवा में दिनांक 06.08.2018 को विधानसभा में पूछे गये उपरोक्त प्रश्न की 100 प्रतिलिपियाँ भेजने का निर्देश हुआ है। जोकि आपको प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

उप शिक्षा निदेशक,
(विधायी कार्य शाखा)

DDE (PGMS)
Dir. of Education

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (150 प्रतियाँ) Delhi

विभाग का नाम :- शिक्षा विभाग

विभाग का पता :- पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054


तारांकित प्रश्न संख्या :- 14

दिनांक :- 06.08.2018

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री अवतार सिंह कालकाजी

क्या माननीय उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न		उत्तर					
(क)	दिल्ली के गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों में अध्यापकों को वर्ष 2017-18 व 2018-19 में दिये गए वेतन का ब्यौरा क्या है;	इस संबंध में विभाग के पास अंडर रूल 180 डीईएआर की स्टाफ स्टेटमेंट 2017-18 मौजूद है,					
		स्कूल का नाम	2017-18	2018-19	बकाया वेतन		
		जीएचपीएस, वसंत विहार	124139796/-	21656601/-	शून्य		
		जीएचपीएस, निहाल विहार	11362345/-	2731980/-	जून, 2018 से अबतक		
		जीएचपीएस, लोनी रोड	163541958/-	28028992/-	जून, 2018 से अबतक		
		जीएचपीएस, नानक प्याउ	94749618/-	7758963/-	मई, 2018 से अबतक		
		जीएचपीएस, तिलक नगर	58073006/-	8914029/-	जून, 2018 से अबतक		
		जीएचपीएस, हरिनगर	6429693/-	1492234/-	जुलाई, 2018		
		जीएचपीएस, पंजाबी बाग	71055742/-	6664400/-	मई, 2018 से अब तक		
		जीएचपीएस, करोलबाग	59036886/-	10063111/-	जून, 2018 से अब तक		
(ख)	गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों के अध्यापकों को वेतन कब से नहीं मिल रहा;	जीएचपीएस, पुराना किला	101102058/-	10036412/-	मई, 2018 से अबतक		
		जीएचपीएस, हेमकुंड कालोनी	90818522/-	15832007/-	जून, 2018 से अबतक		
		जीएचपीएस, कालकाजी एक्सटेंशन	83299248/-	14172818/-	जून, 2018 से अबतक		
		जीएचपीएस, हरगोबिंद इंकलेव	79168507/-	13651095/-	जून, 2018 से अबतक		
		(ग)	क्या सभी गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों का एफिलिएशन एक ही है;	दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग निजी स्कूलों को मान्यता (Recognition) /पंजीकरण देने का काम करती है। मान्यता प्राप्त/पंजीकृत स्कूलों का एफिलिएशन सी.बी.एस.ई./अन्य संबंधित बोर्ड के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में दिल्ली के शिक्षा विभाग के अंतर्गत गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के 12 शाखायें चल रही हैं।			
		(घ)	यदि हां, तो गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों का फंड/एकाउंट एक जगह किया जा सकता है;	जी नहीं, DSEAR, 1973 के सेक्शन 18(3) के तहत प्रत्येक स्कूल का एक अलग स्कूल फंड एकाउंट होता है।			
		(ङ)	यदि नहीं तो गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों का फंड/एकाउंट किस अधिनियम के अंतर्गत एक जगह इक्टा किया जा रहा है; और	जी नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस संदर्भ में विभाग ने दिनांक 04.05.2018 को एक आदेश जारी कर सभी गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों को अपने अपने स्कूलों को अलग एकाउंट सेक्शन 18(3) के अनुसार संचालित करने का आदेश जारी किया है।			
		(च)	2013 से लेकर अब तक गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों की एफ.डी व अन्य फण्ड का इस्तेमाल अभी तक कहीं हुआ? इसका पूर्ण ब्यौरा दिया जाए?	संदर्भित अवधि के दौरान गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों के F.D. व अन्य फंडों के इस्तेमाल का आडिट अभी किया जाना है।			


DDE (POMS)
Dte. of Education
Govt. of NCT of Delhi